

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :-एफ2(5018)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/05303/2021 जयपुर, दिनांक: 23-12-2021

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री यशवंत सिंह, सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, करौली, ने **DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION 2021-2022** की परीक्षा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्री यशवंत सिंह, सूचना सहायक को **DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION 2021-2022, VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA** (पत्राचार माध्यम) से परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री यशवंत सिंह, सूचना सहायक को राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन प्रदान की जाती है:-

1. कर्मचारियों को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारण वश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

कार्मिक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे भविष्य में किसी भी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करें।

_____sd_____

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, करौली ।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. श्री यशवंत सिंह, सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, करौली ।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)